संख्या 1/3198/38-1-2013-347/99

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्लायुक्त/ जिलाधिकारी/
मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-1 लखनऊ -दिनांक 18 नवम्बर, 2013

विषय: प्रादेशिक विकास सेवा संगठन के वार्षिक अधिवेशन हेतु दिनांक 22.11.2013 एवं 23.11.2013 का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रादेशिक विकास सेवा संगठन के दिनांक 22.11.2013 एवं 23.11.2013 को होने वाले वार्षिक अधिवेशन में उक्त संगठन के जो लोग भाग लेना चाहें, उन्हें आकस्मिक/ विशेष परिस्थितयों को छोंडकर दिनांक 22.11.2013 एवं 23.11.2013 का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने तथा अधिकारियों को उक्त् तिथियों में मुख्यालय छोंडने हेतु अवमुक्त करने के लिए सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित भी करने का कष्ट करें।

2- उक्त अधिवेशन में भाग लेने हेतु की गयी यात्रा के लिए किसी प्रकार का दैनिक/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- (1)38-1-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

2- अध्यक्ष, प्रादेशिक विकास सेवा संगठन, उत्तर प्रदेश।

3- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in